
प्रपत्र-21

परियोजना का नाम:-पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण।(कुल लम्बाई 4.00कि0मी०)

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गाँवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापित्त प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाये।









ग्राम प्रधान श्रीमती अनारी देवी 7579469476 9410148697 8449933302

ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत 'दिलऊ' विकासखण्ड कालसी, देहरादून

पता- ग्राम दिलऊ, पो.ओ. सैंज, वाया कोटी कॉलोनी, देहरादून-248165

पत्रांक	•	दिनांक : ७३	2	14

कार्थ आसी उनिभ थनी ला • नि• वि• - रम्हिया (कालसी)

स्मिन किन्न में मार्ग निर्माण हेतु-पामिनी की स्मिन मीर्ग में निर्माण में याम कास्मि का स्मिन स्मिन से प्रस्ताव रखा गमा है कि उक्त मार्ग मार्ग निर्माण किया जाना उति आवश्यक है, जो लोकहित में है, चवा के उपरांत भागवासिमां द्वारा प्रस्ताव रखा गमा कि गार्भ-पिलक के गांत्रवासिमों को उक्त वन श्रम संस्मिन रक्षा की निर्माण की परिमानना के निर्माण है। हो विभे जाने पर कोई आपाल नहीं है। अतः



प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम — दिलंज, तहसील— कालसी जिला—देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद — देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के पजिटीलानी सैन्ज मार्ग का मार्ग के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.9975 है0 सिविल सोयम भूमि , 1.8025 हे0 नाप भूमि) अर्थात कुल 2.800 हे0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लेकि निर्माण विभाग सिहया के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0 ∕ ─्_∏ ग्राम सचिवा ह0/-ग्राम प्रधान



परियोजना का नाम :-- पंजीटिलानी सैंज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 किमी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापित प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-प्बमरेली तहसील-कालसी, जिला-देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र चकराता के विकासखण्ड कालसों में पंजीटिलानी सैंज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 किमी०) के निर्माण हेतु वन भूमि लो०नि०वि० को हरतान्तरण परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, ०.9975 है० सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि 1.8025 है०) अर्थात कुल 2.800 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

्रहें। — ग्राम सचिव ग्राम पंचायत विकास अधिकार ग्राम पंचायत कालसी, (वैठ दून)

> ह0/-ग्राम प्रधान



प्रपत्र-23.1

दिनांक 4.1....../2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत — सैन्ज, दिलंख ।

क्रमाक	ग्राम सभा में उपरिधत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
97.1197		0.0
1	ष्ट्रीमति अनारोदेवी	318/2/50
2	श्री गुलानसिंह नेगी	
3	भी रालायसिंह नेगी	Tank.
4	11 नाराभण सिंह	-1/1/2/0/14
7	11 विरेन्द्रिक विठर	JBISH CA
6	11-1-16/4	4076
7	11707/21E	रतनासंह
8	क्षीमति स्र्रमा	सूरमा करें
9	11 4 4691	1 10
10	। । सीनाहेबी	समित्री
11	श्री सलहा रिसे ह	PARTITION IN ELANCE
12	11 19211 148	100x11/17/2 1910
13	11 गामन्द्रास ह	Grayendrasing
14	. जिन्नियासि	A male
15	11 21/8/(14)&	
16	11 कीरवार्गासंह	वीरवलधंह
17	ग हमानिसे हैं	स्टान यह
18	11 14541 असिंह	12,34101 (218)
19	ा साद्	साध्य
20	11 450021	
21	11 81292	of fer
92	अमात उनाउटाइकी ७० जनगहरायह यान्य प्र	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
29	de side al Wo single oncita	A
and the state of t		/+
26	-ei- 41. pigal wo alcansus Ulong	म प्रधान रेनी
7	-" contrai wie and	ग्राम पंचायत है
		हा. अना स्रोदन है

परियोजना का नाम:— पंजीटिलानी सैंज मोटर मार्ग का निर्माण (कुल लम्बाई 4.00 किमी०)

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापितत प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाये।



ह0/– ग्राम प्रधान की मोहर दिनांक :04:11.2914 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत — खमरोली,

		77777
क्रमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
æ		
1	गुमान स्टि	Donale
2	उनमर स्पिह	July leve
3	अभिषाल । एट	अवसाध
4	स्वर-द्रास्ट	Jenem 1
5	व्याल १३४६	३ पाल १५%
G	12 4,21 1218	120h AIL-12
घ	न्यभन । एह	-479/सर
(8)	श्रीमि स्वकेषा देती (39-प्रधान	344 41 70
9	2) सिरिता देवी (तार्ड सप्रम्)	(-11 Cd (a)
10	11 प्रिक्तिमा देनी	शहाउग
1)	11 रिका देवी	Rulf
12	अने शानित रिष्ट (प्रवेदी प्राच्या रवमरीती)	shart)
13	श्रीभृति निर्वादेवी	107351609
14	श्री तीला हास	C/M
15	मेस सिंह	7 HME
16	कुन्द्र बिह	300 HE
17	हरदाव्य	86967
18	<u> डिमिया</u>	81401



FORM - 1

Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Dehradun

No:	Dated:
110	Dated

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Panjitilani Sainj Moto Marg under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Khamroli, Dilao, Sainj village(s) in kalsi Tehsils.

It is further certified that:

- (d) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.9975 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (f) The proposal dose not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate

FORM - II

(For projects other than linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Dehradun

No:	Dated:

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that **0.9975** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of of **Panjitilani Sainj Moto Marg** under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of **Khamroli**, **Dilao**, **Sainj** village(s) in Chakrata Tehsils.

It is further certified that:

- (g) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.9975**. Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure.
- (h) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- (j) The discussion and decision on such proposals on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.

(k) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram subha have giver their consent to it.

(1) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e)

of the FRA.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehradun,

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONE DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place				•	•	,		•	
Dated.					۰		D		

Deputy Commissioner –cum-Chairman
District Level Committee

District Magistrate
Dehradus.

कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा—6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11—09/98—FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 16/2/2015—में जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक में निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ—

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम पजिटीलानी सैज मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8025 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 34 वृक्षों के पातन की अनुमित हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सिहया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा -6(1) के अनुसार ग्राम दिलउ सैज के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक दिनॉक 04.11.2014 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा -6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 1.2.2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु—भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

बैठक में जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त में बैठक धन्यवाद के साथ समाम्त की गयी

जिला समाज कल्याण अधिकारी

सदस्य सचिव

प्रमासीययव नाधिकारी री

चकराता वन प्रभाग चकराता

वक्र सदस्येहराद्व

जिलाधिकारी

अध्यक्ष

Deblaces

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम:— पजिटीलानी सैन्ज मोटर मार्ग का निर्माण के वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव । (0.9975 है0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद— देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम पजिटीलानी सैन्ज मार्ग के ग्राम दिलंड सैज तक विस्तार के निर्माण हेतु 2.800 हैं0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लों0नि0विं0 सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण—पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण—पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति / वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लिम्बत नहीं है।

ह0 / — जिलाधिकारी देहराद्न Debradus